



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग  
हरिद्वार  
पिन कोड-249404

संख्या :: 316 / 02/E-05/DR/Pol. Const./2022-23

दिनांक :: 31 मार्च, 2023

विस्तृत विज्ञप्ति

पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी / पी0ए0सी0 / आई0आर0बी0 / अग्निशामक  
(पुरुष/महिला) परीक्षा-2021 के सापेक्ष अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी / पी0ए0सी0 / आई0आर0बी0 / अग्निशामक(पुरुष/महिला) परीक्षा-2021 हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या: 42 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के अन्तर्गत आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दिनांक: 18 दिसम्बर, 2022 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची-2 (Documents Verification List-2) दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा घोषित की गयी है।

02- प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के आलोक में किया जाना है।

03- अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची-2 (Documents Verification List-2) में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए, सन्निरीक्षा का कार्यक्रम अनुक्रमांकवार दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को किया जाना है-

अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांक: 10 अप्रैल, 2023

1142000004713	1142000006687	1142000008725	1142000012016	1242000002364	1242000003090
1242000005199	1342000002062	1342000002553	1342000003465	1442000011426	1442000011958
1442000013414	1442000013602	1442000015356	1442000016107	1442000017201	1442000021052
1442000021209	1442000021363	1442000021904	1442000024996	1442000026101	1442000028378
1542000000463	1542000001126	1542000001715	1542000001898	1542000002393	1542000003544
1542000005106	1542000005570	1542000006112	1542000008197	1542000012719	1642000000481
1642000001997	1642000002678	1642000012187	1642000013240	1642000014996	1642000029197
1642000032581	1742000001062	1742000001402	1742000002193	1742000004156	1742000004454
1742000004571	1742000004718	1742000005924	1742000006250	1742000006769	1742000007647

1742000009710	1742000010199	1742000011955	1742000012049	1742000012104	1742000014350
1742000016068	1742000017756	1742000017795	1742000018217	1742000018754	1742000039751
1742000042542	1742000044194	1742000044648	1742000045670	1742000046230	1742000047483
1742000047898	1742000048235	1742000049128	1742000049828	1742000051153	1742000052684
1742000052786	1742000052977	1742000053280	1842000012874	1842000018240	1842000019585
1842000019599	1842000020034	1842000021327	1842000028919	1842000033192	1842000037302
1942000000356	1942000000640	1942000001440	1942000001596	1942000003645	1942000004803
1942000007118	1942000011677	2042010001444	2042010001877	2042010002480	2142000002550
2142000003241	2142000005596	2142000007235	2242010001807	2242010002146	2242010003795
2242010005660	2242010006117	2242010006954	2242010007174	2342010002859	2342010003046
2342010005456	2342010006527	2342010006705	2342010006823	<b>Total-118</b>	

**नोट**— अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सत्यापन का कार्य, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में प्रातः 10:00 बजे से किया जाना है। अभ्यर्थी प्रातः 9:30 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

**05**— इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट [psc.uk.gov.in](http://psc.uk.gov.in) पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, समस्त प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट के साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे—

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र (अनुक्रमांक सहित)।

(ख) विस्तृत आवेदन-पत्र (**Detailed Application Form**)(प्रपत्र संख्या-02)

(ग) प्रमाणीकरण-पत्रक (**Attestation Form**) (प्रपत्र संख्या-03)

(घ) देशना-पत्रक (**Index Card**) (प्रपत्र संख्या-04)।

**06**— अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाईन आवेदन में किए गये दावे के सापेक्ष ही निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (02 प्रतियों में) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे:—

- 1) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 2) इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 3) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण -पत्र। (यदि लागू हो)।
- 4) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 5) शारीरिक मानक में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र।
- 6) विज्ञापन के बिन्दु सं0-08 में उल्लिखित प्राविधानानुसार " उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर

नियमित रूप से नियुक्त कार्मिको एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

उक्त अर्हता धारित संबंधी प्रमाण-पत्र/अभिलेख।

- 7) यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
  - 8) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।
  - 9) यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अंक-तालिकाओं के साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र (Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
  - 10) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।
  - 11) अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाईन भरे गये वरीयता प्रपत्र की छायाप्रति।
  - 12) उपरोक्त क्रमांक 1 से 11 पर वांछित अभिलेखों की चैकलिस्ट (अभ्यर्थी वेबसाइट से चैकलिस्ट डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर लें)।
- 07-** यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।
- 08-** यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।
- 09-**आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।
- 10-**अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड से संबंधित समस्त नियमों, प्रोटोकाल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।

-sd-

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।